उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–03
संख्या– 342/XX–3/2021–2(39)/2006
देहरादून : दिनांक 29 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2016 की धारा–26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा नियमावली प्रख्यापित होने तक उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण अग्नि सुरक्षा के निम्न बिन्दुओं पर शिथिलता प्रदान करते हुए सम्पूर्ण राज्य में पूर्ण रूप से प्रवृत्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. समस्त आवासीय भवन जो 15 मी0 या इससे ऊंची होंगी तथा औद्योगिक/व्यवसायिक (कवर्ड एरिया 5,000 वर्ग मी0 से अधिक हो) और विस्फोटक एवं तीव्र ज्वलनशील पदार्थो के भण्डारण हेतु अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना अनिवार्य है।

2. 15 मीटर से कम ऊंचाई के भवनों हेतु अग्निशमन विभाग स्वतः ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र की बाध्यता नहीं करेगा, किन्तु विकास प्राधिकरणों अथवा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि का पालन करवाने वाली संस्थाओं द्वारा मांगे जाने पर अग्निशमन विभाग अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

3. परन्तु अग्नि सुरक्षा एवं जीव रक्षा के दृष्टिकोण से उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2016 की धारा–17 कतिपय भवनों और परिसर के सम्बन्ध में उपबन्ध के पैरा (1) के ऐसे भवनों में अग्नि रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा के उपायों की पर्याप्तता को अभिनिश्चित करने के लिए निरीक्षण कर सकता है, तथा अपर्याप्तता की पूर्ति के लिए नोटिस जारी करेगा, जिस हेतु सम्बन्धित भवन स्वामी अथवा अधिभोगी अपर्याप्तता की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।

4. अग्निशमन विभाग द्वारा अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने हेतु सम्बन्धित भवन/संस्थान/भण्डारण अथवा जो भी लागू हो, को अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा एवं जीव रक्षा हेतु सम्बन्धित मानक जो भी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा विहित किये गये है, के अनुपालन पर ही प्रदान किया जायेगा।

5. परन्तु अग्निशमन विभाग द्वारा अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र से छूट का तात्पर्य यह नहीं है कि सम्बन्धित भवनों अथवा भण्डारण हेतु अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा एवं जीव रक्षा के मानकों को शिथिल माना या समझा जाये।

6. अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र जब तक रद्द नही किया जाता है, तब तक उसके जारी होने की तारीख से आवासीय भवनों के लिए 5 वर्ष (होटल को छोड़कर) तथा अन्य व्यवसायिक भवनों तथा औद्योगिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, होटल, हॉस्पिटल, वेयर हाउस, पैट्रोलियम एवं विस्फोटक भण्डारण आदि के लिए 03 वर्ष के लिए ही वैध होगा, वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व पुनः नवीनीकरण किया जाना होगा, जैसा कि सरकार या निदेशक द्वारा समय–समय पर तय किया गया है और अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र में परिलक्षित होगा।

7. परन्तु यह कि निदेशक, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के परिस्थितिगत वर्णित वैधता अवधि को, कारणों का परीक्षण एवं अध्ययन कर विशेष प्रकार के भवन अथवा परिसर के लिए सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा कम कर सकता है।

8. परन्तु यह कि अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता को प्रति छः माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति सन्तोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व–घोषणा प्रमाण पत्र/Self Audit Report प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।

9. यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव।

संख्या– 342 (1)/ XX–3/2021–2(39)/2006, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य निजी सचिव, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, अग्निशमन विभाग, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल परिक्षेत्र, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, उन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को आगामी गजट में प्रकाशित करने हेतु।
10. गार्ड फाईल।

(अतर सिंह)
अपर सचिव।